

SHIL



0012285388



गीतादेवी



2




॥ जय माता दी ॥

लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. स्थित : मौजा दतिया, तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : बिक्रय रकवा 0.2480 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश
4. सड़क की स्थिति : सड़क के सहारे स्थित नहीं है,
5. प्रतिफल की धनराशि : 37,50,000/-रुपये
6. मालियत : 37,50,000/-रु.
7. देय स्टाम्प : 2,62,500/-रु. में से 25,900/-रुपये का स्टाम्प मुजरा करते हुये वक्त बैनामा देय स्टाम्प-2,36,600/-रुपये का ई-स्टाम्प जो प्रलेख के साथ संलग्न है।
8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट -58,00,000/-रुपया प्रति हैक्टेयर, जो पेज नं. 35 कोड 1084 पर दर्ज है।
9. कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक । मथुरा।
10. विक्रेता-क्रेता दोनों भारतीय नागरिक हैं।

गीतादेवी





प्रथम पक्ष की संख्या : (1)

विक्रेता का विवरण

श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रघुनाथ निवासी-ग्राम दतिया, तहसील व जिला मथुरा
आधार-6518 6877 9611 मो0-9761978045


द्वितीय पक्ष की संख्या : (2)

क्रेता का विवरण

कृष्णा इन्फ्राटेक जो एक साझीदारी फर्म है जिसका प्रधान कार्यालय मौजा कोटा छरौरा एन एच-19, आईओसीएल पेट्रोल पम्प के पास, मथुरा है PAN-ABCFK1875A, द्वारा अधिकृत साझीदारान संजय कुमार जैन पुत्र श्री लोकचन्द जैन निवासी-बी-39, मोतीकुंज, मथुरा व विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी-40, धौलीप्याऊ रोड़, मयूर बिहार, मथुरा मो0-9412727709

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष-1427-1432 के अनुसार अनुसार खाता सं. 00252 खसरा नं. 40 रकवा-0.2480 है0 स्थित मौजा-दतिया, तहसील व जिला मथुरा सम्पूर्ण अंश आराजी मिल्कीयत प्रथमपक्ष की है, जिस पर प्रथम पक्ष विक्रेता का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष विक्रेता ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चली आती है तथा प्रथम पक्ष विक्रेता का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी बैंक में बंधक नहीं है, और उक्त आराजी किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके। यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी काफी ज्यादा खार खड्डेदार कृषि भूमि है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती है, जिस कारण प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों व चुकाने कर्जा बैंक हेतु धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है। अतः प्रथमपक्ष अपनी आराजी रकवा-0.2480 है0 सम्पूर्ण अंश विक्रय कर रहा है, जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष विक्रेता

गीता देवी



Fingerprint of the seller, Gita Devi.

Fingerprint of the buyer, Sanjay Kumar Jain.




10/10/2020



को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बरेवज 37,50,000/-सैतीस लाख पचास हजार रूपये में बदस्त कृष्णा इन्फ्राटेक जो एक साझीदारी फर्म है जिसका प्रधान कार्यालय मौजा कोटा छरौरा एन एच-19, आईओसीएल पेट्रोल पम्प के पास, मथुरा है PAN-ABCFK1875A, द्वारा अधिकृत साझीदारान संजय कुमार जैन पुत्र श्री लोकचन्द जैन निवासी-बी-39, मोतीकुंज, मथुरा व विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी-40, घौलीप्याऊ रोड़, मयूर बिहार, मथुरा खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त करके व कुल रूपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गये। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष विक्रेता व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या कोई भी झगडा झंझट आदि निकले या कोई वाद विवाद विचाराधीन पाया जावे या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या देना पडे, तो उस सबकी बिक्रेता प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा विक्रेता स्वयं पूरे जिम्मेदार होंगे तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा-खर्चा बिक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। किसी प्रकार का विवाद दोनों पक्षों व अन्य पक्षों के मध्य होता है, तो द्वितीय पक्ष को प्रतिफल की राशि को बाधित करने का अधिकार होगा। भविष्य में बेची गयी आराजी की बाबत यदि कभी कोई वाद विवाद, भार, ऋण इत्यादि किसी भी प्रकार का पाया

गीतादेवी



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





आवेदन सं०: 202500764046485

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 17795

वर्ष: 2025

प्रतिफल- 3750000 स्टाम्प शुल्क- 236600 बाजारी मूल्य - 3750000 पंजीकरण शुल्क - 37500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 37560

श्रीमती गीता देवी,
पत्नी श्री रघुनाथ
व्यवसाय: अन्य
निवासी: ग्राम दतिया तह० व जिला मथुरा



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/07/2025 एव 03:20:57 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार त्रिपाठी
उप निबंधक : सुबर प्रथम
मथुरा

30/07/2025

अद्वैत शर्मा
निबंधक लिपिक
30/07/2025



(5)


जाता है अथवा कोई कानूनी पेचीदगी आती है, तो उस कुल की जिम्मेदारी दिनांक-30.07.2025 तक प्रथम पक्ष की होगी, द्वितीय पक्ष का उससे कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होगा। उक्त बैनामा का सारा खर्चा द्वितीयपक्ष ने वहन किया है बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। क्रेता व विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है। उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी को विक्रय करने का सौदा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष व अन्य के साथ पंजीकृत मुहायदाबै दिनांक-04.09.2024 द्वारा तय किया, जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सबरजिस्ट्रार मथुरा में वही नम्बर-1 जिल्द-19564 के पृष्ठ-11-20 में नम्बर-21795 पर पंजीकृत हुई है उक्त इकरारनामा की शर्तों के अनुसार ही प्रथम पक्ष, खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बैनामा कर रही है। जिसमें से इकरारनामा के वक्त जो स्टाम्प अदा किया गया था, उस स्टाम्प को उक्त बैनामा में स्टाम्प मुजरा व ब्याना समाहित किया जा रहा है, इसमें प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-


9,00,000/-रुपये वक्त इकरारनामा प्राप्त किये।

28,50,000/-रुपये चैक नम्बर-470987 दिनांक-30.07.2025 केनरा बैंक

जातोदेवी



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





आवेदन सं०: 202500764046485

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 17795

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्रीमती गीता देवी,

|geeta devi

पत्नी श्री रघुनाथ

निवासी: ग्राम दतिया तह० व जिला मधुरा

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री कृष्णा इन्फ्राटेक के द्वारा संजय कुमार जैन ,

|KRISHNA INFRATECH

पुत्र श्री लोकचन्द जैन

निवासी: बी-39 मोतीकुंज मधुरा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 875A

क्रेता: 2



श्री कृष्णा इन्फ्राटेक के द्वारा विपिन कुमार अग्रवाल ,

|KRISHNA INFRATECH

पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल

निवासी: 40 धौलीप्याऊ रोड मयूर विहार मधुरा

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन् XXXXXX 875A



ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री तोयजं सारस्वत , पुत्र श्री रमेश चन्द सारस्वत

निवासी: प्रकाश नगर एक्सटेंश मधुरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री दीपक अग्रवाल , पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल

निवासी: म०न०-16 गुरू कृपा धाम शिववाला नाथ नगर बिरला मन्दिर जयसिंहपुरा मधुरा

व्यवसाय: अन्य



ने की । प्रत्यक्ष, भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अजय कुमार त्रिपाठी
उप निबंधक : सदर प्रथम
मधुरा

30/07/2025

अद्वैत शर्मा
निबंधक लिपिक मधुरा
30/07/2025

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

गोतादेवी












दिनांक : 30.07.2025

टाईप किया : एम0आई0

ड्राफ्ट किया : चन्द्रमोहन शर्मा एडवोकेट मथुरा

Chandra Mohan Sharma
Advocate
Licence No. UP 7627/2018
Ghoseganj Compound, Mathura

गवाह-तोयज सारस्वत पुत्र श्री रमेश चन्द सारस्वत
निवासी-प्रकाश नगर एक्सटेंशन मथुरा
मो0-8800821789





गवाह-दीपक अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल
निवासी-म0नं0-16, गुरु कृपा धाम, शिववाला नाथ नगर,
बिरला मन्दिर, जयसिंहपुरा बाँगर मथुरा
मो0-8791770675





आवेदन सं०: 202500764046485

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 20481 के पृष्ठ 161 से 174 तक क्रमांक 17795 पर दिनांक 30/07/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

A. K. Tripathi

अजय कुमार त्रिपाठी

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा

30/07/2025




नकुशा नजरी वाके शेजा दलि पा

विकेत बीमरी गीरा देवी

रकत ००२५२ रकत ५०

०.२५८० हे सम्पत्ती



गीरा देवी



~~गीरा देवी~~



~~गीरा देवी~~



May



प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार
होगा
रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

2025-07-30 00:00:00

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उप निबंधक सदर प्रथम मधुरा क्रम 2025245022974

आवेदन संख्या : 202500764046485

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2025-07-30 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम गीता देवी

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 3750000 / 3750000.00

1. रजिस्ट्रिकरण शुल्क 37500
2. प्रतिनिधिकरण शुल्क 60
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुकतार के अधिप्रमाणीकरण लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 37560

शुल्क वसूल करने का दिनांक 2025-07-30 00:00:00

दिनांक जब तक प्रतिनिधि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2025-07-30 00:00:00

रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर